संख्या - 79/2015/1298/छप्पन-2015-1/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 30 सितम्बर, 2015

विषय : कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जाने वाली भूमि के मूल्य के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 469-71/ए0एस0/114-15/2015, दिनांक 17 अगस्त, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 6,66,20,275-00 (रूपये छः करोड़ छियासठ लाख बीस हजार दो सौ पिचहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में कानपुर (देहात) की तहसील रसूलाबाद में एक नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु चिन्हित ग्राम मरहमताबाद, वारनपुर कहिंजरी व काशीपुर की कुल 115.721 हेक्टेअर भूमि (90.793 हे0 निजी काश्तकारों की भूमि तथा 24.928 हे0 ग्राम सभा की भूमि) के आपसी सहमति से क्रय/व्यवस्था हेतु 2014-15 में रूपये 42,49,35,200/- अर्थात् पूर्णांक में 42,49,35,000/- (रूपये बयालिस करोड़ उनचास लाख पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय/भुगतान किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-20/2015/436/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 30.3.2015 के द्वारा निर्गत की गयी है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 53/2015/1097/छप्पन-2015-01/2015, दिनांक 10.7.2015 के द्वारा जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद के क्षेत्रान्तर्गत एक नयी हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय के लिये भूमि क्रय की दर और क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के कुल मूल्य रूपये 49,30,91,200-00 (रूपये उनचास करोड़ तीस लाख इक्यानवे हजार दो सौ मात्र) का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त जनपद कानपुर देहात की तहसील रसूलाबाद में नयी राजकीय हवाई पट्टी की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने के लिये अवशेष धनराशि रूपये 6,66,20,275-00 (रूपये छः करोड़ छियासठ लाख बीस हजार दो सौ पिचहत्तर मात्र) की धनराशि के व्यय/भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वीकृत धनराशि आहरित कर जिलाधिकारी, कानपुर देहात के निवर्तन पर रखी जायेगी और यथा आवश्यक सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार व्यय किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग यथा-आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- हवाई पट्टी के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का क्रय आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा।

8- जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) द्वारा आपसी समझौते के आधार पर क्रय की जा रही भूमि का विवरण तथा कुल भूमि के कुल मूल्य से शासन को अविलम्ब अवगत कराया जायेगा।

9- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 पूंजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-812/दस-2015, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : संख्या - 79/2015/1298(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कानपुर (देहात)।
4- जिलाधिकारी, कानपुर (देहात)।
5- अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कानपुर (देहात) ।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-4
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।